पत्र संख्या-वि0(27)पे0को0(NPS)-54/2025 /वि0,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

मुकेश कुमार लाल,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव
सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक-

विषयः- एन0पी0एस0 कर्मियों के सेवानिवृति के समय विभागीय कार्यवाही लंबित रहने की स्थिति में दंड अधिरोपण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि एन0पी0एस0 कर्मियों के संदर्भ में उनके सेवानिवृति के पश्चात विभागीय कार्यवाही के समापन के उपरांत दंड अधिरोपण के विकल्पों पर मार्गदर्शन/परामर्श की अपेक्षा कतिपय कार्यालयों/विभागों द्वारा की गयी है ।

2. उपर्युक्त के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के पेंशन संबंधी प्रावधान एन0पी0एस0 कर्मियों पर लागू न होने के कारण उनके संदर्भ में उक्त नियमावली के संगत प्रावधानों के आलोक में पेंशन कटौती का दंड अधिरोपित नहीं किया जा सकता है । एन0पी0एस0 कर्मियों के संदर्भ में पी0एफ0आर0डी0ए0 के निकास एवं आहरण विनियमन 2015 के नियम 6(ग) के आलोक में सरकारी अंशदान के भुगतान में कटौती का विकल्प उपलब्ध है लेकिन उक्त कार्रवाई सेवानिवृति के पूर्व की जानी चाहिए ।

3. उल्लेखनीय है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या-622 दिनांक-28.08.2017 द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों के अनुरूप एन0पी0एस0 से आच्छादित कर्मियों हेतु मृत्यु-सह-सेवानिवृति उपादान का लाभ अनुमान्य किया गया है । इस प्रकार उक्त संकल्प के द्वारा उपादान के संदर्भ में बिहार पेंशन नियमावली के प्रावधान एन0पी0एस0 कर्मियों पर भी लागू किया गया है । ऐसे में सेवानिवृत कर्मियों के दंड अधिरोपण के बिन्दु पर उपादान की राशि से यथोचित कटौती हेतु अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अपेक्षित निर्णय लिया जा सकता है । जहाँ तक सरकारी राशि की वसूली का प्रश्न है, इस संबंध में पूर्व प्रवृत नियमों के अनुरूप उसका सामंजन उपादान या अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि अथवा दोनों से किया जा सकता है ।

विश्वासभाजन

ह0/-
(मुकेश कुमार लाल)
सरकार के विशेष सचिव ।

125 | Amit ji 2025

.....2

ज्ञापांक-वि0(27)-पे0को0(NPS)-54/2025-648(पे0)पटना, दिनांक-12/08/2025

प्रतिलिपिः-महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/परिषद्/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव ।